(27)

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की बैठक दि08·2·93 को परिषद मुख्यालय,104,महात्मा गांधी मार्ग,लखनऊ में हुयी वर्ष 1992 की चतुर्थ(11)/बैठक का कार्यवृत्त:-

दिनांक 8·2·93 की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1·	श्री आर0एस0माथुर	अध्यक्ष,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद एवं प्रमुख सचिव,आवास उ0प्र0शासन,	अध्यक्ष
2·	श्री राजीव कुमार सिंह	आवास आयुक्त,उ0प्र0	सदस्य
3·	श्री शंकर अग्रवाल	विशेष सचिव, वित्त विभाग,वित्त सचिव के प्रतिनिधि	सदस्य
4·	श्री एच0के0शर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
5·	श्री सी0बी0पालीवाल	प्रमुख सचिव/महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
6·	श्री दीपक कृष्ण वर्मा	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव

विशेष आमंत्री के रूप में

1·	श्री एस0के0वर्मा	मुख्य अभियन्ता
2·	श्री ए0के0पचौरी	मुख्य वास्तुविद नियोजक
3·	श्री आर0एस0दोहरे	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

बैठक में विचार विमर्श के पश्चात निम्न मदो पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है:-

क्र0सं0	मदसं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4	5
1·		परिषद की बैठक दिनांक 1·5·92 की अनुपालन आख्या	चतुर्थ(11)/(1)/92	अवलोकित कियागया।
2·		दि017·10·92 को परिषद की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि	चतुर्थ(11)/(2)/92	दि017·10·92 को हुई बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
3·	59	मस्टर रोल/दैनिक वेतनभोगी फील्ड कर्मचारियो के विनियमितीकरण के सम्वन्ध में।	59(चतुर्थ/92-93	वर्तमान में जो स्वीकृत पद रिक्त है केवल उन्हीं के विरूद्ध नियमितीकरण किया जाय।मस्टररोल/दैनिक वेतन के नियमितीकरण के फलस्वरूप परिणामी रिक्तियो को न भरा जाय।

4.	60	परिषद में मस्टररोल पर कार्यरत कर्मचारियो के दैनिक वेतन दरो में वृद्धि करने के संबंधमें	60/चतुर्थ/92-93	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।यह भी कहा गया कि यदि स0नि0 विभाग द्वारा दरे बढाई जाती है तो प्रस्तावपुनः विचार हेतु प्रस्तुत किया जाय।
5.	61	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद लिपिकीय सेवा विनियम-1989 के नियम-5ख में संशोधन	61{चतुर्थ}92-93	प्रोन्नति किये जाने वाले स्नातक एवं गैर स्नातक सभी अभियर्थियो के लिये लेखा ज्ञान का परीक्षण अनिवार्य किया जाय।इसके लिये नियम में आवश्यक संशोधन हेतु भी कार्यवाही कियाजाय
6.	62	सहायक श्रेणी-तृतीय पद पर 10वर्ष की प्रशंसनीय सेवा पूर्ण करने पर सहायक श्रेणी-द्वितीय पद का वेतनमान दिया जाय।	62{चतुर्थ}/92-93	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
7.	63	सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयो में हडको नार्मस के आधार पर सहायक लेखाकार/लेखाकार के पदो के सृजन के सम्बन्ध में।	63/{चतुर्थ}/92-93	प्रस्ताव वापस किया गया।
8.	64	फेरोक्वाय तथा नीलमुद्रक के कार्यो की प्रकृति एक समान होने के कारण वेतनमान में भिन्नता समाप्त करने के सम्बन्ध में ।	64{चतुर्थ}/92-93	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
9.	65	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो की भाँति नियमित कार्य प्रभारित कर्मचारियो को सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने के संबंध में।	65{चतुर्थ}/92-93	वेतनमान 775-1025,750-940,एवं 950-1500वेतनमान में कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियो को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो की भाँति सेलेक्शन ग्रेड जो क्रमशः वेतनमान 775-1025,750-940 एवं 950-1500 में दिया जा रहा है,दिया जाय।वेतनमान रू0825-1200 में क्या सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय यह प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाय।

10·	66	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद के आशुलिपिक संवर्ग ग्रेड-3 §वेतनमान 1400-2300§ के पदो को ग्रेड-2§वेतनमान 1400-2600§ में संविलियन के संबंध में ।	66/§चतुर्थ§/92-93	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया कि ग्रेड-3 का संविलियन ग्रेड-2 में किया जाय।सेवा विनियमावली में संशोधन हेतु गजट नोटीफिकेशन कराया जाय।भविष्य में सेवा संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय लेखा, मिनिस्ट्रीयल§लिपिकीय§एवं आशुलिपिक संवर्ग के विभिन्न स्तरीय पदो की एकरूपता का यथोचित ध्यान रखा जाय ।
11·	67	परिषद में दैनिक वेतन लिपिक के पद पर कार्यरत कर्मचारियो के दैनिक वेतन दरो में वृद्धि करने के संबंध में।	67/§चतुर्थ§/92-93	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।
12·	68	स्व0श्री सहदेव सिंह,चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को ईंदिरानगर योजना में प्रदिष्ट दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या 22/331 के विरूद्ध देय धनराशि को 50प्रतिशत अवमुक्त करने के संबंध में।	68§चतुर्थ§/92-93	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
13·	69	कार्य प्रभारित बिजली मिस्त्री, आई0टी0आई0§इलेक्ट्रिक§ के वेतनमानो के पुनरीक्षण के संबंध में ।	69§चतुर्थ§/92-93	परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया ।
·	70	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की सुहागनगर योजना, फिरोजाबाद में श्री भूप सिंह शर्मा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आवंटित म0आ0वर्ग सं0 1/436 को पुरानी कीमत पर बिना व्याज के रू0 500·00 माहवार किश्तो पर करनेके संबंध में ।	70§चतुर्थ§92-93	इस तथ्य का परीक्षण कर लिया जाय कि क्या प्रार्थी से बिना व्याज पुरानी कीमत पर भवन देने का कोई आदेश परिषद द्वारा दिया गया था। इस विन्दु का परीक्षण कर आवास आयुक्त एवं अध्यक्ष§म§ अंतिम निर्णय लेंगे।
·	71	ईंदिरानगर ईंदिरानगर योजना लखनऊ के अन्तर्गत श्रीमती सावित्री देवी को आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवन सं0 10/655 के विरूद्ध विकल्प परिवर्तन शुल्क माफ करने के संबंध में।	71§चतुर्थ§/92-93	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
	72	परिषद की बैठक दि03·3·92 को परिषद के समक्ष बाई-सरकुलेशन अनुमोदित अवलोकनार्थ प्रस्तुत प्रशासनिक स्वीकृतियों का सरांश ।	72§चतुर्थ§/92-93	परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया ।

7.	73	परिषद योजनाओ में आवंटित सम्पत्ति के भू उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	73(चतुर्थ)/92-93	विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः-

(अ) शासन का दिनांक12.8.86 का आदेश महायोजना में प्रस्तावित भू उपयोग परिवर्तन से संबंधित है तथा वर्तमान प्रकरण में लागू नही है। परिषद की योजनाओ में जो भू उपयोग संशोधित किये जाये उनपर आवासीय भू उपयोग जोन के अधीन व्यवसायिक/कार्यालय प्रयोजन हेतुही परिवर्तन पर विचार किया जाय।

(ब) प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत करते हुये यह निर्णय लिया गया कि परिषद के सभी योजनाओ में आवश्यकतानुसार आवासीय से कार्यालय/व्यवसायिक भू उपयोग के परिवर्तन करने के लिये समान मार्गदर्शन सिद्धान्त अपनाये जाये।

(स) भू-प्रयोग परिवर्तन करते समय पूर्व में अनुमन्य प्लिन्थ एरिया,एफ0ए0आर0 तथा भवन की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नही किया जाय ।यदि अतिरिक्त पार्किंग की आवश्यकता हो तो भू प्रयोग संशोधित करते समय प्राविधान कर दिया जाय ।

(द) परिषद की जिन योजनाओ में व्यवसायिक प्रयोग अनुमन्य किया जाय तथा ऐसे क्षेत्रो में सीमा निर्धारण के लिये जो दरे भू प्रयोग परिवर्तन के लिये निर्धारित की जाय,उन पर विचार कर संशोधित प्रस्ताव विचार करने के समिति गठित की गयीः-

(1)	आवास आयुक्त अथवा उनके नामित प्रतिनिधि	अध्यक्ष
(2)	मुख्य ग्राम एवं नियोजक	सदस्य
(3)	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सदस्य
(4)	मुख्य अभियन्ता	सदस्य
(5)	मुख्य वास्तु विद नियोजक	सदस्य

	74	परिषद की इंदिरानगर विस्तार योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम इस्माईलगंज के खसरासं0 77 के संबंध में।	74§चतुर्थ§/92-93	प्रस्ताव अनुमोदित ।
	75	इंदिरानगर योजना लखनऊ में अर्जनमुक्त भूमि पर विकास एवं निर्माण कार्य अनुमन्य करने के संबंध में।	75§चतुर्थ§/92-93	विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः- §अ§ प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत किया गया। §ब§ ग्रुप हाउसिंग निर्माण करने के लिये यदि कोई अतिरिक्त सेवायें विकसित की जाती है तो उनपर पड़ने वाला अधिभार भूस्वामी से लिया जाय। §स§ प्रस्तावानुसार विचार कर परिषद को संस्तुति प्रस्तुत करने के लिये निम्न समिति गठित की गईः- 1· आवास आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि — अध्यक्ष 2· मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक — सदस्य §3§ मुख्य वास्तुविद नियोजक — सदस्य §4§ मुख्य अभियंता — सदस्य §5§ वित्त नियंत्रक एवं मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी — सदस्य §6§ प्रभारी अधिकारी §भूमिअर्जन§ — सदस्य सचिव
0	76	विकासनगर योजना लखनउ में अर्जनमुक्त भूमि पर विकास एवं निर्माण कार्य अनुमन्य करने के संबंध में ।	76§चतुर्थ§/92-93	भूमि मुक्त किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत। शेष कार्यवाही मद संख्या 75 के अनुरूप की जाय।
1	77	अवर अभियन्ताओ को दि01·1·86 से देय वेतनमान के एरियर का भुगतान करने के संबंध में।	77§चतुर्थ§92-93	प्रस्ताव [illegible] संस्तुति के साथ शासन को भेजा जाय।
2	78	परिषद की कानपुर योजना सं01व2 में परिषद अधिकारियो/कर्मचारियो को आवंटित स्वंय वित्त पोषित योजना के भवनो के मूल्य में व्याज की गणना में छूट दिये जाने के संबंध में।	78§चतुर्थ§92-93	प्रस्ताव स्थगित किया गया ।

79	सरस्वती बालिका विद्या मंदिर विकास नगर योजना में परिषद द्वारा आवंटित भूखण्ड के संबंधमें।	79§चतुर्थ§92-93	विद्यालय को भूमि निम्नलिखित आधार पर दिये जाय:- विद्यालय के कुल धनराशि का 50प्रतिशत 3 माह के अन्दर अवशेष 50प्रतिशत 4 सालाना किश्तो में 18प्रतिशत व्याज लगाकर दिया जाय। यही सिद्धान्त अन्य विद्यालयो को भूमि दिये जाने पर भी लागू होगा ।
80	हडको वित्त पोषित-8 योजनाओ में स्वीकृत ऋण राशि रु0704·60लाख हडको द्वारा निर्धारित शर्तो पर प्राप्त किये जाने के संबंध में।	80§चतुर्थ§92-93	परिषद द्वारा आदेश का अवलोकन किया गया ।
81	हडको द्वारा आपरेशनल फाइनेंस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण रु0 283 लाख की शर्तो के संबंधमें।	81§चतुर्थ§92-93	तदैव ।
82	परिषद द्वारा संचालित भूमि अर्जन योजना में हडको से ऋण प्राप्त करने के संबंध में।	82§चतुर्थ§92-93	तदैव ।
83	हडको वित्त पोषित-5 योजनाओ में स्वीकृत ऋण राशि 331·55लाख हडको द्वारा निर्धारित शर्तो पर प्राप्त किये जाने के संबंध में।	83§चतुर्थ§92-93	तदैव ।
84	हडको द्वारा 5 नगरो में बसेरा/ सामुदायिक केन्द्रो के निर्माण हेतु स्वीकृत ऋण की सामान्य शर्तो के संबंध में।	84§चतुर्थ§92-"93	तदैव ।
85	इंदिरानगर विस्तार योजना से0-8 से 25 लखनऊ तथा विकासनगर एवं शेखापुर योजनाओ से संबंधित निकायो को हस्तगत करनेके संबंधमें	85§चतुर्थ§92-93	तदैव ।
86	उ0प्र0की समस्त नगरपालिकाओ को परिषद कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया जाना ।	86§चतुर्थ§92-93	इस अभ्युक्ति के साथ अनुमोदित कि विभिन्न नगरो में वास्तविक मांग के आधार पर ही योजनाये प्रस्तावित की जाय।
87	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की योजनाओ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो के आश्रितो को भवन आवंटन कार्य में 1985 तक दी गयी सुविधा को वर्ष 1992 तक बढ़ाये जाने के संबंध में।	87§चतुर्थ§92-93	प्रस्ताव अनुमोदित ।

32.	88	शाहपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजनासं0-7 गोरखपुर में समाविष्ट श्रीमती वैद्य वागेश्वरी देवी द्वारा संचालित श्रीमती इंदिरागांधी धर्मार्थ औषधालय, गोरखपुर को भूमि आवंटन किये जाने के संबंध में।	88§चतुर्थ§92-93	9/83 में, कुल अवधि के लिये 18 प्रतिशत साधारण व्याज के आधार पर जो मूल्य आये उसकी गणना करने पर आने वाले मूल्य पर उक्त भूमि उन्हें प्रदान किया किया जाय ।
33.	89	कार्यप्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत रोड रोलर ड्राइवर का वेतनमान पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में।	89§चतुर्थ§92-93	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि आगे से रोड रोलर ड्राइवर के पद पर केवल नियमित नियुक्ति की जाय।
4.	90	परिषद के खण्ड कार्यालयो में कार्य प्रभारित अधिष्ठान में स्वीकृत सीमा के अन्तर्गत मेट के 2 पद समाप्त कर वर्क सुपरवाइजर के 2पद और बढ़ाये जाने के संबंध में।	90§चतुर्थ§92-93	प्रस्ताव स्थगित किया गया ।
5.	91	जल संस्थान में भेजे जा रहे पम्प आपरेटरो, आई0टी0आई0 का वेतनमान के संबंध में।	91§चतुर्थ§92-93	प्रस्ताव स्थगित किया गया ।
36.	92	श्री आशुतोष मित्तल के चिकित्साव्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में।	92§चतुर्थ§92-93	प्रस्ताव स्वीकृत ।
37.	93	परिषद मुख्यालय पर इलेक्ट्रोस्टेट आपरेटर के रूप में कार्यरत दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो को विशेष वेतन स्वीकृत किये जाने के संबंधमें।	93§चतुर्थ§92-"93	विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विशेष वेतन के स्थान पर मानदेय दिया जाय, जिसकी धनराशि आयुक्त द्वारा कर ली जाय ।
38.	94	सहायक श्रेणी-द्वितीय पद पर 10वर्ष की प्रशंसनीय सेवा पूर्ण करने पर प्रोन्नत वेतनमान रू01350-30-1440-40-1800द0रो050-2200 दिये जाने के संबंध में।	94§चतुर्थ§92-93	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।
.	95	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की इंदिरानगर योजना, लखनऊ के सेक्टर-5 में फायर स्टेशन को आवंटित भूखण्ड के विरूद्ध देय दण्ड व्याज को माफ किये जाने केसंबंध में।	95§चतुर्थ§92-93	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि फायर स्टेशन जो सार्वजनिक हित का है, को दण्ड व्याज से मुक्त रखा जाय ।
.	96	श्री विश्वनाथ केडिया को बेतियाहाता योजना गोरखपुर में विकास शुल्क लेकर भूमि आवंटन किये जाने के संबंध में।	96§चतुर्थ§92-93	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

97	योजनासं03 मेरठ में म0आ0वर्ग भवनसं0 एल-1695 के आवंटि मा0श्री तीरथ सिंह,भूतपूर्व सदस्य विधान परिषद का प्रकरण	97{चतुर्थ}92-93	श्री सिंह को परिषद का भवन दिये जाने में हुये विलम्ब के कारण का परीक्षण करते हुये आवास आयुक्त इस प्रकरण पर अपनें स्तर सें निस्तारण करें।
98	अध्यक्ष महोदय के अनुमति से		
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा ।	98{चतुर्थ}92-93	प्रस्ताव अनुमोदित। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो को शासनादेश के तिथि से सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय ।

(35)

आ०उ०(प्र) /अध्यक्ष महोदय

परिषद की बैठक दिनांक 8·2·93 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। कृपया पुष्टि करने का कष्ट करें।

(अपर आ० आ० एवं सचिव)

Singh
29/5
आवास आयुक्त

अध्यक्ष

नोट ! – कार्यवृत्त पर पुष्टि अध्यक्ष म० द्वारा नहीं की गयी है उसे नोटशीट पर पुष्टि की है। अतः उसे 8/2/93 की पुष्टि मानी जायेगी। कार्यवृत्त के साथ संलग्न किया जाता है।